सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 291 राँची, बुधवार

23 वैशाख, 1937 (श०)

13 मई, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 अप्रैल, 2015

संख्या- 4/नियुक्ति नियमावली-01-01/2014 का॰ 3747-- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधीन झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अध्याय-1

<u>प्रारम्भिक</u>

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगी ।

(iv) प्राधिकृत संवर्गीय कार्यबल-आवश्यकतानुसार समय-समय पर पदों के सृजन एवं समाप्ति के बाद सेवा का कार्यबल स्वतः संशोधित अधिकृत बल समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं:-

(i) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य ।

(ii) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(iii) 'प्रशासी विभाग' से अभिप्रेत है, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

(iv) 'सेवा' से अभिप्रेत है, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ।

(v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की मूल कोटि, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर, अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर, संयुक्त सचिव, अपर सचिव एवं विशेष सचिव ।

(vi) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है, महामहिम राज्यपाल झारखण्ड ।

(vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

(viii) 'नियमावली' से अभिप्रेत है, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली- 2015

3. ''सेवा/संवर्ग की रचना'' से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम 18 में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की मूल कोटि, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर, अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर, संयुक्त सचिव स्तर, अपर सचिव स्तर एवं विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी ।

सेवा का अधिकृत संवर्ग बल राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाएगा। सेवा के अधिकृत संवर्ग बल का सृजन अथवा प्रत्यर्पण प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा ।

4. अधिकृत संवर्ग बल से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम 18 के अधीन यथा विहित विभिन्न कोटि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत बल ।

अध्याय- 2

भर्ती / नियुक्ति

5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा की मूल कोटि के पद पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्ति की जाएगी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। उक्त परीक्षा के पाठयक्रम एवं विषयों का निर्धारण आयोग एवं सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें समय-समय पर सरकार द्वारा यथावांछित संशोधन किया जा सकेगा ।

6. रिक्तियों का नियतीकरण:- कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग द्वारा पदों की रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रत्येक भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के दिसम्बर माह में रिक्तियों की गणना करते हुए राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी ।

7. रिक्तियों में आरक्षण:-

(क) सीधी भर्ती - सेवा की मूल कोटि के स्वीकृत पद के 75 प्रतिशत पद पर सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष स्वीकृत पद के 25 प्रतिशत पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। उक्त नियुक्ति में राज्य सरकार की आरक्षण नीति यथा रूप प्रभावी होगी एवं तदनुसार आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी ।

(ख) प्रोन्नति- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर, अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर, संयुक्त सचिव स्तर, अपर सचिव स्तर एवं विशेष सचिव स्तर के पद कालावधि एवं वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति से भरे जायेंगे, जिसमें प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति यथा रूप प्रभावी होगी ।

8. संवर्ग की संख्या और संरचना:

नियम 18 के अधीन गठित संवर्गीय संरचना के अनुसार पदों का निर्धारण राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा ।

9. संवर्गीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति -

1) संवर्गीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति राज्य या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में की जा सकेगी ;

2) संवर्गीय पदाधिकारी को राज्य सरकार के सेवार्थ निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा:-

(i) राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व या नियंत्रण वाली कम्पनी या निकाय में चाहे वे निगमित हों अथवा नहीं, नगर/स्थानीय निकाय, बोर्ड या सहकारी समिति में ;

(ii) केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः नियंत्रण वाले किसी कार्यालय में, उनकी मांग के अनुरूप एवं किसी संवर्गीय पदाधिकारी को उनकी सहमति से केन्द्र सरकार के किसी विभाग, कार्यालय में तथा उपर्युक्त मद संख्या (i) एवं (ii) में उल्लिखित किसी संगठन या निकाय में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा ।

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त उप नियम (i) एवं (ii) के अधीन किसी संवर्गीय पदाधिकारी को किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसके वेतनमान का अधिकतम उस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतनमान से कम हो, जो वह अपने संवर्ग के धारित पद पर प्राप्त करता हो ।

10. ''संवर्गीय पद की पूर्ति संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा की जाएगी'' -

नियमावली के नियम 07 के अधीन यथा परिलक्षित कोटियों में सेवा के हरेक संवर्गीय पद की पूर्ति कोटि के संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा ही की जायगी ।

11. ''संवर्ग नियंत्रण'' - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग इस संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

अध्याय-3

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

12. सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया:- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में नियुक्ति संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी ।

13. सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हताएं:-

(i) शैक्षणिक योग्यता :- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी ।

(ii) उम्र :- न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था लागू होगी।

14. रिक्तियों का संसूचन :- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में रिक्तियों की गणना करते हुए अधियाचना का संसूचन झारखण्ड लोक सेवा आयोग को किया जाएगा।

15. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा :- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

अध्याय- 4

<u>सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती</u>

16. नियुक्ति की प्रक्रिया:- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की मूल कोटि के 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे। उक्त परीक्षा में राज्य सरकार के वैसे सरकारी सेवक भाग लेंगे, जिनकी सेवा झारखण्ड सरकार में न्यूनतम 5 (पाँच) वर्षो की हो तथा वे अपने संवर्गीय पद पर सम्पुष्ट हों।

17. नियुक्ति के लिए योग्यताएँ:-

(क) (i) शैक्षणिक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होंगे।

(ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी सेवक भाग लेंगे, जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुई है तथा अराजपत्रित अनुसचिवीय संवर्ग (ग्रुप ख), जैसा कि झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 30, परिशिष्ट -5 में परिभाषित है, में कार्यरत हो एवं सेवा उत्कृष्ट कोटि की हो तथा धारित पद का ग्रेड वेतन उप समाहर्ता के लिए स्वीकृत ग्रेड वेतन से कम हो। सम्बन्धित कर्मी निलम्बित नहीं हों, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं हों तथा सेवाकाल में कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया है।

(iii) जिस बैच की परीक्षा है उसके लिए निर्धारित अर्हता की तिथि/मानक तिथि उस वर्ष की (पहली अगस्त) को 45 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं हो।

(ख) किन्तु वह सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में तीन से अधिक अवसरों में भाग नहीं ले सकेगा।

(ग) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम - उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा:-

(क) प्रथम पत्र - General Studies Paper-I (वस्तुनिष्ठ) - 100 अंक

(i) History of India and Indian national movement

(ii) India and world Geography

(iii) India Polity and Economy

(iv) History, Geography, Economy and Culture of Jharkhand

(ख) द्वितीय पत्र - General Studies Paper-II (वस्तुनिष्ठ) - 100 अंक

(i) General Science

(ii) General mental Ability

(iii) Current Events of State, National and International Importance

(ख) तृतीय पत्र - (विषयनिष्ठ) - 100 अंक

(1) झारखण्ड सेवा संहिता	(6) झारखण्ड राज्य सरकारी सेवक आचार नियमावली
(2) झारखण्ड पेंशन नियमावली	(7) झारखण्ड कोषागार संहिता
(3) झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली	(8) झारखण्ड वित्तीय नियमावली
(4) सचिवालय अनुदेश या बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली	(9) झारखण्ड असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली
(5) झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली	

(घ) मौखिक परीक्षा - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई मौखिक अन्तर्वीक्षा नहीं होगी।

(ङ) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों को सफल होने के लिए लिखित परीक्षा के पूर्णांक का न्यूनतम चालीस प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना

अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी,

परन्तु यह कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों से उस वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों को भरे नहीं जा सकने की स्थिति में शेष रिक्तियों को अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जायेगा।

अध्याय- 5

18. सेवा की संरचना:- इस सेवा में निम्न प्रकार से वर्गीकृत छः कोटियाँ होंगी:-

क्र0	पदनाम एवं वेतनमान	
(i)	विशेष सचिव स्तर (वेतनमान-37400-67000/- रू0 ग्रेड पे-8900 रू0)	वर्ग- क
(ii)	अपर सचिव स्तर (वेतनमान-37400-67000/- रू0 ग्रेड पे-8700 रू0)	
(iii)	संयुक्त सचिव (वेतनमान-37400-67000/- रू0 ग्रेड पे-8700 रू0)	
(iv)	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (वेतनमान-15600-39100/- रू0 ग्रेड पे-7600 रू0)	
(v)	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (वेतनमान-15600-39100/- रू0 ग्रेड पे-6600 रू0)	
(vi)	मूल कोटि के पद/उप समाहर्ता यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी तथा अन्य (वेतनमान PB-II -9300-34800/- ग्रेड पे-5400 रू0)	वर्ग- ख

19. प्रशिक्षण (क) प्रारंभिक प्रशिक्षण:- झाखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् परीक्ष्यमान उप-समाहर्ता के पद पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में संस्थागत प्रशिक्षण नवनियुक्त पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य सूची के अनुसार श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में दिया जाएगा। इसके पश्चात् उन्हें जिला प्रशिक्षण में भेजा जाएगा, जहाँ वे कोषागार प्रशिक्षण, राजस्व प्रशिक्षण एवं न्यायिक प्रशिक्षण के साथ अन्य अनिवार्य प्रशिक्षण जिला के उपायुक्त के अधीन प्राप्त करेंगे। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के

पश्चात् परीक्ष्यमान उप-समाहर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पद पर पदस्थापित किया जायेगा।

(ख) सेवा कालीन प्रशिक्षण:- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जब अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नत होंगे तो उन्हें प्रथम सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरान्त द्वितीय सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रशासी विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा।

20. सेवा-सम्पुष्टि:- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति परीक्ष्यमान उप-समाहर्ता के रूप में की जाएगी। सेवा सम्पुष्टि के लिये दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि कुशलतापूर्वक पूर्ण करना, न्यायिक प्रशिक्षण, कोषागार प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के विषय यथा हिन्दी, विधि भाग-1, विधि भाग-2, लेखा पुस्तक रहित, लेखा पुस्तक सहित, विकास एवं जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उक्त के साथ कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान एवं प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा। प्रशिक्षण अवधि का कार्यकाल संतोषजनक ढंग से पूर्ण करना आवश्यक है। ध्यातव्य है कि परीक्ष्यमान अवधि में किसी तरह का दण्ड अधिरोपित होने की स्थिति में उप-समाहर्ता के पद पर सेवा सम्पुष्टि नहीं की जाएगी।

अध्याय-6

21. सेवा से बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन:-

(क) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वैसे पदाधिकारी जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया है तथा राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि इनको अब सेवा में नहीं रखा जा सकता है अर्थात् सेवा में रखने के लायक नहीं है, तो सेवा से बर्खास्तगी के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर लेना अपेक्षित होगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के वैसे पदाधिकारी जिनकी पर्यवेक्षण-क्षमता पद के अनुकूल नहीं है तथा संवर्गीय पद में प्रोन्नति पा चुके हैं, राज्य सरकार को यदि इस आशय का समाधान हो गया है कि ये गुरूतर दायित्व के लायक नहीं हैं तो इनके संवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तन की स्थिति में राज्य लोक सेवा आयोग का अभिमत अपेक्षित होगा।

(ख) कंडिका- 25 के फलाफल पर सरकार के निर्णय से ऐसा निर्णय लिया जा सकता है।

(ग) भारत के संविधान में किये गये प्रावधानों के तहत् भी समतुल्य कार्रवाई की जा सकती है।

अध्याय-7

22. (क) प्रोन्नति:- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रोन्नति समिति का गठन किया जायेगा। प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात् संवर्गीय पद पर राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी। प्रोन्नति का आधार कालावधि, वरीयता-सह-योग्यता होगी तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लागू प्रोन्नति में आरक्षण यथारूप प्रभावी होगा।

(ख) प्रोन्नति की कालावधि - प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित अनुदेश/परिपत्र के अनुरूप होगा।

23. वरीयता:- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के मेधाक्रम से होगा।

24. स्थानान्तरण/पदस्थापन:- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा राज्य सरकार के अनुदेश के आलोक में किया जाएगा। सेवा के पदाधिकारियों के एक स्थानान्तरण/पदस्थापन का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों का होगा। सामान्यतः तीन वर्ष से कम अवधि में किसी पदाधिकारी को किसी पदस्थापन से स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, जबतक कि राज्य सरकार को यह समाधान नहीं हो जाय कि उनको इस पदस्थापन पर बनाये रखना राज्यहित में न हो एवं संवर्गीय प्रोन्नति नहीं मिली हो।

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा राज्य सरकार के अन्य विभागों में उनके समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु दी जा सकेगी। संबंधित विभाग को स्थानान्तरण/पदस्थापन की पूर्ण शक्ति होगी। बीच में उनकी सेवा अकारण वापस नहीं की जा सकेगी। सेवा वापस करने के संबंध में संबंधित विभाग सकारण स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि इनका कार्यकलाप संबंधित पद के अनुरूप नहीं है, तभी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस करेगें। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कभी भी संबंधित पदाधिकारी की सेवा आवश्यकतानुसार वापस ले सकेगा।

25. अनुशासनिक कार्रवाई:- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में किये गये प्रावधान के आलोक में की जायेगी।

26. विनियम:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए इन नियमों से असंगत एवं ऐसी सभी बातों का उपबंध करने के लिए जो आवश्यक या समीचीन हो, विनियम बना सकेगा।

27. अवशिष्ट मामले:- ऐसे मामलों के बारे में जो विनिर्दिष्टतः इन नियमों या विनियमों अथवा एतद्धीन बनाये गये या निर्गत किये गये आदेशों या विशेष आदेशों में नहीं आते हैं, ऐसी परिस्थिति में सेवा के सदस्य राज्य सिविल सेवा के लिए लागू सामान्य नियमों, विनियमों एवं आदेशों द्वारा शासित होंगे।

28. शिथिल करने की शक्ति:- जहाँ राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो उन कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा वित्त विभाग के परामर्श से पदाधिकारियों या पदों के वर्गों या कोटियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने के संबंध में राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

29. निर्वचन:- जहाँ इन नियमों या एतद्धीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ इस मामले को राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में निर्दिष्ट किया जायगा, उसपर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस0के0 शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 291—50 ।